

## मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण

क. राजकोषीय संकेतक - सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में चल लक्ष्य

(मौजूदा बाजार मूल्य पर)

	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	के लिए लक्ष्य	
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1. प्रभावी राजस्व घाटा	2.0	1.6	0.0	0.0
2. राजस्व घाटा	3.3	2.9	2.2	1.6
3. राजकोषीय घाटा	4.6	4.1	3.6	3.0
4. सकल कर राजस्व	10.2	10.6	10.9	11.2
5. वर्ष के अंत में कुल बकाया देनदारियाँ <sup>2</sup>	46.0	45.4	43.6	41.5

टिप्पणी:—

1. "स.घ.उ." से आशय 2004-05 से नई श्रृंखला के अनुसार मौजूदा बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद है।
2. "कुल बकाया देनदारियों" में वर्तमान विनिमय दरों पर विदेशी सरकारी ऋण शामिल है। अनुमान के लिए स्थिर विनिमय दरें परिकल्पित हैं। देनदारियों में एनएसएसएफ का भाग तथा कुल एमएसएस देनदारियाँ, जो कि केंद्रीय सरकारी घाटे के वित्तपोषण के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती हैं, शामिल नहीं हैं।

1. उपर्युक्त दर्शाये गये चुनिंदा राजकोषीय संकेतकों का निष्पादन अंतरिम बजट संख्याओं से मामूली अंतर प्रतिबिम्बित करता है। इस अध्याय और अगले अध्याय में दी गई व्याख्या के अनुसार, ये परिवर्तन, मई, 2014 के अंत में सीएसओ द्वारा जारी किए गए अंतिम अनुमानों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में पांच प्रतिशत से कम की वृद्धि के कारण हुए थे। सरकार ने दो वर्ष पूर्व शुरु की गई राजकोषीय समेकन के पथ पर चलते रहने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है। राजकोषीय घाटा लक्ष्य 2012-13 में घोषित रोडमैप में अपनाये गए लक्ष्य के मुकाबले सुधार दर्शाता है।

2. पिछले वित्त वर्ष में प्रचलित बृहद-आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण और ऊपर दर्शाये गए संशोधित अनुमानों के अनुसार राजकोषीय निष्पादन अंतरिम बजट में प्रस्तुत इस विवरण में दिया गया था। मई, 2014 में जारी किये गए अंतिम वास्तविक अनुमान राजकोषीय निष्पादन में सुधार के दावे का समर्थन करते हैं। अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल बाह्य वातावरण, घरेलू संरचनात्मक संकुचन और स्फीतिकारी दबावों जैसी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तथापि, सकल कर राजस्व में 10.0 प्रतिशत की कम वृद्धि दर्ज होने के बावजूद, ऊपर दर्शाये गए संशोधित अनुमानों से घाटों के प्रमुख राजकोषीय मानदंडों में सुधार हुआ था। अंतिम वास्तविक आंकड़ों के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटे, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे अनुमान क्रमशः 2.0 प्रतिशत, 3.2 प्रतिशत और 4.5 प्रतिशत थे।

3. आम बजट 2014-15 राजकोषीय समेकन की ओर सरकार की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करते हुए राजकोषीय समेकन

की दिशा में अगला कदम है। गिरती विकास दर और बाह्य अनिश्चितताओं सहित कई चुनौतियों तथा समाज के कमजोर वर्ग को बचाने के लिए सक्रियात्मक कल्याण उपायों की आवश्यकता के बावजूद राजकोषीय विवेक पर निर्णय चुनौतीपूर्ण रहा था। लगातार दूसरे वर्ष में स.घ.उ. विकास दर के 5 प्रतिशत से कम होने और कर राजस्वों पर दबाव के कारण, सकल कर राजस्व अनुमानों को स.घ.उ. का 10.6 प्रतिशत तक संशोधित करना था जो सं.अ. 2013-14 की तुलना में 17.7 प्रतिशत और 2013-14 के लिए अंतिम वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 19.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अंतरिम बजट की तुलना में कर राजस्वों के अधोगामी संशोधन के बावजूद, कुल व्यय को स.घ.उ. के 13.9 प्रतिशत पर उर्ध्वगामी संशोधित किया गया है जो 2013-14 सं.अ. की तुलना में 12.9 प्रतिशत की वृद्धि और 2013-14 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

4. व्यय में उच्चतर वृद्धि का वित्तपोषण कर-भिन्न राजस्वों से संसाधन जुटाने के जरिये किया जाता है। आम बजट में कर-भिन्न राजस्व सं.अ. के मुकाबले 10 प्रतिशत तक बढ़ गया है और यह स.घ.उ. के 1.7 प्रतिशत पर बनाये रखा गया है। तथापि, यह पिछले वर्ष की प्रवृत्तियों के साथ बना रहा और 2013-14 में वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह गारंटी मोचन निधि और सामाजिक अवसंरचना विकास निधि जैसे सरकारी खाते में बचे शेषों में से संसाधनों को जुटाने के जरिये निर्धारित किया गया है। उसी तरह पिछले वर्षों के मुकाबले उपकर आधारित निधियों में संग्रहण, जिसका उपयोग किया जा

सकता था, का आहरण करना और उपकर में दिए गये प्रयोजनों के लिए उपयोग करना प्रस्तावित है। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि के लिए वर्तमान व्यय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निधि में अंतरण के पश्चात् निधि से पूरा किया जाना प्रस्तावित है जबकि यह प्रस्ताव किया गया है कि कर-भिन्न राजस्वों के रूप में पिछले शेषों का प्रयोग एनसीईएफ के तहत प्रयोजनों के लिए दोबारा किया जाए। इस प्रकार ₹12,252 करोड़ की धनराशि अतिरिक्त रूप से जुटाई गई है। कर-भिन्न राजस्वों के तहत दूसरा अंशदान आरबीआई से लाभांश के जरिये प्राप्त हुआ है जो आरबीआई द्वारा 30 जून, 2014 को वार्षिक लेखों के इसके समापन के अनुसरण में उर्ध्वगामी रूप से संशोधित किया गया है। अंतरिम बजट में प्रस्तावित ₹33,000 करोड़ के मुकाबले, आरबीआई से वास्तविक लाभांश ₹46,000 करोड़ बैठता है। पिछले कुछ वर्षों से आरबीआई केंद्रीय सरकार को लाभांश की घोषणा करने से पूर्व आरक्षित निधियों के रूप में अपने लाभों का हिस्सा पृथक कर रहा है। कुछ वर्षों से पर्याप्त शेष विभिन्न आरक्षित निधियों में इकट्ठा हो गया है जिसके परिणामस्वरूप आरबीआई ने सरकार को उच्चतर लाभांश प्रदान करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, 2014-15 में घोषित लाभांश में वृद्धि की गई है।

5. व्यय पक्ष पर, सरकार ने विनिमय दर के मूल्यांकन और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों के आधार पर सब्सिडियों के लिए वास्तविक आबंटन प्रदान किया है। डीजल मूल्यों के उल्लेखनीय नियंत्रण मुक्त करने और एलपीजी सब्सिडी के यौक्तिकीकरण के चलते यह आशा की जाती है कि अंतरिम बजट में ईंधन सब्सिडी के लिए किया गया प्रावधान पर्याप्त रहना चाहिए। उर्वरक के लिए आबंटन वर्तमान आकलन के आधार पर अंतरिम बजट में प्रस्तावित स्तर से बढ़ा दिया गया है। यह वृद्धि स्वदेशी यूरिया और अन्य उर्वरकों के कारण उत्पन्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए है। खाद्य सब्सिडी के वृद्धित आबंटन को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से मांग को पूरा करने की अतिरिक्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाए रखा गया है। आयोजना-भिन्न व्यय को स.घ.उ. का 9.5 प्रतिशत पर सीमित करते हुए, सरकार की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए 2013-14 के वास्तविक आंकड़ों के मुकाबले इसमें 9.9 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। महत्वपूर्ण रूप से, आयोजना व्यय में 2013-14 के वास्तविक आंकड़ों के मुकाबले 26.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, अंतरिम स्तर यह 3.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस प्रकार, आयोजना व्यय स.घ.उ. का 4.5 प्रतिशत बैठता है। सरकार के विकास कार्यक्रम को पूरा करने के लिए उच्चतर आबंटन प्रदान किया गया है ताकि रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था में वृद्धि के पुनरुद्धार की ओर उन्मुखी मुख्य क्षेत्रों में विकास के लिए आवंटन उपलब्ध कराकर इसकी सामाजिक और कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जा सके।

6. अतिरिक्त संसाधन पूरा करने हेतु, ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों में ₹6,500 करोड़ तक आंशिक रूप से संशोधन किया गया है। राजकोषीय घाटा लक्ष्य 4.1 प्रतिशत पर बनाए रखकर, ऋण प्राप्तियाँ आंशिक रूप से संशोधित की गई है। सीएसओ द्वारा संशोधित अनुमानों और जीडीपी आकलन पर आधारित स.घ.उ संख्याओं में आंशिक सुधारों के चलते घाटा सीमा के भीतर ₹3,176 करोड़ की अतिरिक्त उधारें उपलब्ध थीं।

7. राजकोषीय समेकन के मार्ग पर चलते हुए, राजस्व लेखा में असंतुलनों को संशोधित एफआरबीएम अधिनियम में विद्यमान उपबंधों तक ठीक नहीं किया जा सकता था। जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, संशोधित एफआरबीएम अधिनियम 31 मार्च, 2015 तक 2 प्रतिशत तक प्रभावी राजस्व घाटे के विलोपन और राजस्व घाटे के संकुचन को अनिवार्य बनाता है। तथापि, आम बजट 2014-15 1.6 प्रतिशत की ईआरडी और 2.9 प्रतिशत की आरडी प्रदान कराता है। गत वर्षों में सरकार के राजकोषीय समेकन प्रयासों ने राजकोषीय घाटे के संबंध में परिणाम दिए हैं जिसका निहतार्थ है कि सरकारी वित्तपोषण नियंत्रित स्तरों के अंदर रखा गया है। तथापि, इसके साथ-साथ राजस्व व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतानों, सब्सिडियों और रक्षा परिव्यय में वृद्धि के चलते वृद्धि हुई है। घरेलू और विदेशी आर्थिक परिस्थितियों ने राजस्व व्यय में असंतुलन का सुधार करने की सरकार की युक्ति को सीमित किया है। स्फीतिकारी दबावों ने सब्सिडियों, जो मूल्य वृद्धि के दुष्प्रभाव से कमजोर वर्ग की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं, पर व्यय को कम करने की गुंजाइश को सीमित किया है। उसी तरह, ईराक संकट, यूएस फेड द्वारा मात्रात्मक सुगमता में कमी करना और यूरोप में शिथिल आर्थिक वृद्धि जैसे विदेशी संकटों ने मुद्रा विनिमय दर और कच्चे तेल के अंतर-राष्ट्रीय मूल्यों पर बुरा प्रभाव डाला है। इसके अलावा, आर्थिक वृद्धि में गिरावट और परिणामी नियोजनीयता ऐसे कारक हैं जिन्होंने सामाजिक और कल्याणकारी क्षेत्रों में सकारात्मक कार्रवाई को आवश्यक बना दिया है। रक्षा परिव्ययों और ब्याज भुगतानों का पर्याप्त रूप में होना अपेक्षित है। इसलिए, विशाल बृहद-अर्थव्यवस्था संदर्भ में ऐसे व्यय की अनम्य प्रकृति राजस्व लेखा के लक्ष्यों को पूरा न कर पाने की असमर्थता का मुख्य कारण रही है। आगामी वित्त वर्ष में संभवतः वृद्धि के पुनरुद्धार और बृहद-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार इस पक्ष पर सरकारी वित्त साधनों में सुधार करने का उचित अवसर मुहैया कराएगा और एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करेगा।

#### वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए राजकोषीय संभावनाएँ

8. आम बजट 2014-15 राजकोषीय समेकन को इसके तर्क संगत अंत तक पहुँचाने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुनःपुष्टि करता है। तदनुसार, 4.1 प्रतिशत का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य इस वर्ष की राजकोषीय नीति में बनाये रखा गया है। यह लक्ष्य 2013 में अधिसूचित संशोधित एफआरबीएम नियमावली में दिए गए राजकोषीय लक्ष्य के अनुरूप है। राजकोषीय समेकन नीति की स्थिति के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, आगे चलकर मध्यम अवधि राजकोषीय घाटा लक्ष्य वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 में उत्तरोत्तर घट कर क्रमशः 3.6 और 3.0 प्रतिशत हो जाएगा। यह मध्यम अवधि में सीमित राजकोषीय स्थान का संकेत देता है। राजकोषीय औचित्य की प्रक्रिया, जो अभी तक मुख्य रूप से व्यय पक्ष की ओर रही है, को आगामी वर्षों में अधिक संसाधन समग्रहण से मेल रखना होगा।

9. आम बजट-2014 में प्रस्तुत किए गए राजस्व खाते, राजस्व घाटे तथा प्रभावी राजस्व घाटे के मानदंड पिछले वर्ष तथा अंतरिम बजट में प्रस्तुत अनुमानों की तुलना में उत्तरोत्तर सुधार दर्शाते हैं।

तथापि, ये राजस्व खाते में असंतुलन दर्शाते हैं जो संशोधित एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं और जो प्रभावी राजस्व घाटे को समाप्त करने तथा राजस्व घाटे को 2 प्रतिशत रखने का अधिदेश देते हैं। जैसाकि अगले खंड में स्पष्ट किया गया है, लक्ष्य में यह कमी अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू बाजार में कठिन वृहत-आर्थिक स्थितियों के कारण है। इन स्थितियों, विशेष रूप से विकास के पुनुरुद्धार तथा मुद्रास्फीति दबाव में आसानी से सुधार के साथ, यह अपेक्षित है कि सरकार राजस्व मानदंड में अपेक्षित सुधार प्राप्त करने में सक्षम होगी। तदनुसार, अगले दो वर्षों में अनुमान जैसाकि उपरोक्त सारणी में दर्शाया गया है। संशोधित एफआरबीएम अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनायी गई नियमावली के अनुरूप होंगे।

10. क्योंकि पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के रूप में राजस्व व्यय का महत्वपूर्ण अनुपात प्रदान किया जा रहा है, इसलिए सरकार के प्रभावी राजस्व घाटे पर ध्यान देना आवश्यक होगा। प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व खाते में उपरोक्त अनुदान के हिस्से में दलाली के बाद, बजट अनुमान 2014-15 में स.घ.उ. का 1.6 प्रतिशत होना अनुमानित है। इस चालू वित्त वर्ष में समाप्त करने की जरूरत है। राजस्व खाते में यह असंतुलित हिस्सा है। जिससे व्यय प्रबंधन तथा राजस्व वर्धन के जरिए आवश्यक रूप से दूर करने की जरूरत होगी।

11. यह ध्यान देना जरूरी है कि संशोधित एफआरबीएम अधिनियम 2012 तथा उसके अंतर्गत बनायी गई नियमावली के तहत, सरकार ने 31 मार्च, 2015 तक राजस्व घाटा स.घ.उ. का 2 प्रतिशत कम करने तथा प्रभावी राजस्व घाटे को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। प्रभावी घाटे की समाप्ति यह सूचित करती है कि पूंजीगत सृजन के लिए सहायता अनुदान राजस्व घाटे के बराबर होना चाहिए। अन्य शब्दों में राजस्व प्रप्तियों से ज्यादा सरकारी राजस्व व्यय फील्ड में पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। अंतरिम बजट 2014-15 में प्रस्तुत किए गए बजट अनुमानों के अनुसार, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुल व्यय की संरचना में सुधार की जरूरत है। आगे चलकर, उच्च पूंजी स्तर प्राप्त करने के लिए, या तो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसियों के जरिए कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे। पूंजी सृजन के लिए सहायता अनुदान वित्त वर्ष 2010-11 से प्रारंभ किया गया है जो योजना राजस्व व्यय का लगभग एक तिहाई रहा है। प्रभावी राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए, जैसाकि संशोधित एफआरबीएम अधिनियम में अधिदेशित है, इस हिस्से को बढ़ाकर दो तिहाई अर्थात् लगभग 67 प्रतिशत करना होगा। प्रभावी रूप में, यह आयोजना स्कीमों के डिजाइन में संरचनात्मक परिवर्तन इस प्रकार दर्शाता है कि केन्द्र सरकार से अंतरित संसाधन प्रचालनात्मक लागतों के निधियन के बजाय पूंजीगत आस्तियों के सृजन में उपयोग किए गए हैं। केन्द्र सरकार ने मामले को गंभीरता से उठाया है और आशा है कि इस मुद्दे के समाधान के लिए आवश्यक परिवर्तन प्रभावी होंगे।

12. सकल कर राजस्व 2013-14 में वास्तविक के अनुसार स.घ.उ. के 10.0 प्रतिशत से बढ़कर ब.अ. 2014-15 में 10.6 प्रतिशत होने का अनुमान है (जो 2013-14 के वास्तविक की तुलना में 19.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है), जो 2007-08 के दौरान प्राप्त स.घ.उ. के 11.9 प्रतिशत के उच्च स्तर से कम है। वृद्धि दर के रुझान के पथ की ओर अर्थव्यवस्था के वापस आने के साथ, यह संभव होगा कि कर के प्राप्ति स्तर को स.घ.उ. के अनुपात में वापस लाया जाए। मध्यम अवधि के लक्ष्यों में, स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सकल कर संग्रहण 2015-16 में 10.9 प्रतिशत तथा 2016-17 में 11.2 प्रतिशत अनुमानित किया गया है।

13. राजकोषीय समेकन प्रक्रिया पर वापस ध्यान केन्द्रित करते हुए, सरकार ने राजकोषीय घाटे को वास्तविक 2013-14 में स.घ.उ. के 4.5 प्रतिशत से घटाकर ब.अ. 2014-15 में स.घ.उ. का 4.1 प्रतिशत करने के उपाय किए हैं। राजकोषीय घाटे में यह कमी मुख्य रूप से राजस्व प्रेरक है। स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय सं.अ. 2013-14 में 14.0 प्रतिशत से घट कर ब.अ. 2014-15 में 13.9 प्रतिशत हो गया है। आगे चलकर, यह अनुमान लगाया गया है कि सरकार का व्यय वित्त वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में उत्तरोत्तर रूप से कम होकर स.घ.उ. का क्रमशः 13.1 तथा 12.5 प्रतिशत हो जाएगा। कर राजस्व में वृद्धि 2013-14 में प्राप्त 10.0 प्रतिशत से ब.अ. 2014-15 में 10.6 प्रतिशत तक, अर्थात् स.घ.उ. का 0.6 प्रतिशत हुई है। अगले दो वर्षों की अवधि में इसे स.घ.उ. का क्रमशः 10.9 तथा 11.2 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य है। वृहत आर्थिक स्थितियों में सुधार तथा विकास में पुनुरुद्धार के साथ यह आशा है कि अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी के कार्यान्वयन तथा प्रत्यक्ष करों में कर संरचना को तर्कसंगत बनाने सहित कर सुधार सरकार के कुल कर राजस्व को बहाल करेंगे।

14. गैर कर राजस्व राजकोषीय समेकन के वर्तमान चरण में, सरकारी संसाधनों के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरा है। आर्थिक विकास में मंदी के कारण दबाव के अंतर्गत कर राजस्व सहित, गैर कर राजस्व के उत्थान ने हाल ही में राजकोषीय औचित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। गैर कर राजस्व पिछले वर्ष 2012-13 की तुलना में 2013-14 में 45 प्रतिशत बढ़े हैं। आम-बजट 2014-15 में यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले वर्ष के वास्तविक की तुलना में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जो स.घ.उ. का 1.7 प्रतिशत हो जाएगी। तथापि, राजस्व के इस हिस्से में वृद्धि सीमित है और यह आशा की जाती है कि अगले दो वर्षों में मामूली वृद्धि दर्ज होगी। इस चरण में सरकार के राजकोषीय समेकन प्रयाप्त कर राजस्व के जरिए वित्त पोषित किए जाएंगे। यह अनुमान लगाया गया है कि स.घ.उ., गैर-कर राजस्व का अनुपात वित्त वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में क्रमशः 1.4 प्रतिशत तथा 1.2 प्रतिशत होगा।

15. स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में, सरकार की कुल देनदारियों में भी कमी आएगी जो विगत के रुझान के अनुसार जारी है। 2013-14 के अंत में, सरकार की कुल देनदारी स.घ.उ. का 46 प्रतिशत अनुमानित की गई थी जो 2014-15 के अंत तक कम होकर 45.4 प्रतिशत हो जाएगी। हासमान रुझान के जारी रहते हुए

यह कम होकर 2015-16 में 43.6 प्रतिशत तथा 2016-17 में 41.5 प्रतिशत होने की संभावना है। सरकार के ऋण - स.घ.उ. के अनुपात में उत्तरोत्तर कमी ब्याज के बोझ को कम करेगी तथा इससे अतिरिक्त उधारों का सहारा लिए बिना विशेष रूप से अवसंरचना विकास पर खर्च करने के लिए सरकार को और अधिक गुंजाइश मिलेगी।

## (ख) राजकोषीय संकेतकों में अन्तर्निहित अवधारणाएं

### 1. राजस्व प्राप्ति

#### (क) कर राजस्व

16 स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में, उच्च आर्थिक विकास पर होते हुए तथा कर-सुधार उपायों की लाभकारी सूची द्वारा सहायता प्राप्त करके कर राजस्व 2007-08 में अपने शीर्ष पर था तथा 11.9 प्रतिशत के स्तर पर आ गया था। 2003-08 पांच वर्ष की अवधि के दौरान, औसत वार्षिक कर वृद्धि 21.3 प्रतिशत थी जबकि 2006-07 में वार्षिक कर वृद्धि अधिकतम 28.9 प्रतिशत के स्तर पर थी। ये सुधार मुख्य रूप से प्रत्यक्ष कर द्वारा किए गए हैं जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि इस अवधि के दौरान लगभग 28 प्रतिशत थी। स.घ.उ. के संदर्भ में कर राजस्व की उछाल इस अवधि के दौरान लगभग 1.5 रही।

17. उच्च कर वृद्धि का यह रुझान वैश्विक आर्थिक संकट के कारण मंदा हो गया और कर-स.घ.उ. का अनुपात 2008-09 में गिरकर 10.8 प्रतिशत हो गया और 2009-10 में गिरकर 9.6 प्रतिशत तक हो गया। 2010-11 में आर्थिक बहाली के प्रारंभिक संकेतों तथा प्रोत्साहन उपायों को आंशिक रूप से वापस लेने के साथ, कर-स.घ.उ. का अनुपात बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गया जिसके साथ 27% की उच्च वृद्धि दर कर राजस्व में देखी गई क्योंकि प्रोत्साहन उपाय मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष कर के पक्ष में थे, आंशिक वापसी से 2009-10 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 2010-11 में अप्रत्यक्ष करों में 40.7% उच्च वृद्धि हुई। तथापि, 2011-12 में 6.2 प्रतिशत पर आर्थिक वृद्धि में मंदी के साथ, पिछले वर्ष की तुलना में कर संग्रहणों ने 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जिसके परिणामस्वरूप कर और स.घ.उ. का अनुपात 9.9 प्रतिशत हो गया।

18. आर्थिक वृद्धि दर, जो 2011-12 में कम होनी प्रारंभ हुई और 2012-13 में लगातार कम होती रही, ने 2013-14 में सुधार का संकेत दर्शाया है तथापि, सुधार का रास्ता वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक भाग में विनिमय दर की अस्थिरता द्वारा नाकाफी और सीमित था। आर्थिक विकास में मंदी के कारण, वास्तविक सकल कर राजस्व वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट अनुमानों की तुलना ₹40,893 करोड़ रुपए कम था। 2012-13 में कर-स.घ.उ. अनुपात 10.2 प्रतिशत था, जिससे 16.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2013-14 के अंतिम खातों के अनुसार सकल कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई तथा कर स.घ.उ. का अनुपात 10.0 प्रतिशत था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में पिछले वर्ष की तुलना में सांकेतिक अर्थ में ₹6376 करोड़ के कम संग्रहण के चलते ऋणात्मक वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में सीमा शुल्क मामूली रूप से 4.7 प्रतिशत बढ़ा है

जिससे इस अवधि में अप्रत्यक्ष करों में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष कर संग्रहण अप्रत्यक्ष कर से बेहतर रहे, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 14.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो संशोधित अनुमानों से मामूली सी ज्यादा थी।

19. वर्ष 2014-15 हेतु अनुमान वास्तविक अर्थव्यवस्था सुधार और 2013-14 के लिए बजट में घोषित किये गए कर उपायों के समुच्चय की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये गए हैं। यह आशा भी की जाती है कि सख्ती से कार्यान्वयन की और उन्मुखी प्रशासनिक मशीनरी में सुधारों से परिणाम मिलेंगे।

#### कर उपायों के ब्यौरे

20. इन उपायों से 2013-14 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में ब.अ. 2014-15 में कर राजस्वों में 19.8 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य किया गया है। 2014-15 के लिए बजट में अनुमानित कर-सघउ अनुपात 10.6 प्रतिशत है। अर्थव्यवस्था में विकास के पुनुरुद्धार के साथ, जिसके प्रारंभिक संकेत अवगम्य हैं, कर में उछाल से वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 17% की सामान्य कर वृद्धि होगी तथा शेष कर वृद्धि अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपायों से की जाएगी।

21. कर सुधार और कर प्रयास राजकोषीय समेकन की समग्र प्रक्रिया हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण घटक हैं। सन्तुलित और महत्वाकांक्षी कर वृद्धि के बिना सरकार द्वारा निर्धारित राजकोषीय रोडमैप को प्राप्त करना सम्भव नहीं है। कर अनुमानों के वास्तविक होने की अपेक्षा की जाती है जबकि उसी समय अपेक्षित व्यय सम्पीड़न से अधिक का सहारा लिये बिना राजकोषीय रोडमैप को प्राप्त करने के लिए सरकार को समर्थ बनाने हेतु उनके महत्वाकांक्षी होने की आवश्यकता होती है। समग्र रूप से, कर को सघउ के प्रतिशत के रूप में बढ़ना चाहिए जबकि व्यय को जब तक राजकोषीय समेकन लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किये जाते, सघउ के प्रतिशत के रूप में प्रगामी रूप से कम होना चाहिए। अंतिम उद्देश्य संकट-पूर्व स्तरों के कर-सघउ अनुपात को वापस लाना होना चाहिए जबकि यह राजकोषीय समेकन की अवधि से धीरे-धीरे अंशशोधित होना चाहिए। चूंकि कर-सघउ अनुपात बढ़ता है, इसमें आगे सुधार अधिक धीरे होंगे और इन्हें प्राप्त करना कठिन होगा। 2015-16 और 2016-17 वर्षों के लिए कर राजस्वों हेतु दृष्टिकोण इसे ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जैसाकि उपरोक्त सारणी में दर्शाया गया है कर-सघउ अनुपात 2015-16 में 10.9 प्रतिशत और 2016-17 में 11.2 प्रतिशत पर पहुँचने का अनुमान है। इसका अभिप्राय 1.32 औसत उछाल से है जो वास्तविक तो है लेकिन एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसके लिए 17.7 प्रतिशत की औसत कर वृद्धि की अपेक्षा होगी जो बेहतर कर प्रयास के संयोजन के जरिये संभव होगी। यह कहना प्रासंगिक होगा कि पिछले दशक में कहीं अधिक कर वृद्धि प्राप्त की गई है।

#### (ख) राज्यों को अंतरण

22. केन्द्रीय कर के शुद्ध आगमों में राज्यों का हिस्सा 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित है, जिसमें शुद्ध आगमों के 32 प्रतिशत को राज्यों को उनके हिस्से के रूप में देने की

सिफारिश की गई है। अनुमान अवधि ने 13वें वित्त आयोग की समय सीमा को लांघ दिया है और यह नये गठित 14वें वित्त आयोग को प्रदत्त अवधि के प्रथम वर्ष तक पहुँच गई है। यह परिकल्पना की गई है कि राज्यों का हिस्सा इस परिवर्तन के बावजूद अनुमान अवधि से अधिक स्थिर बना रहेगा क्योंकि परिकल्पना के लिए कोई बेहतर आधार उपलब्ध नहीं है। इस दस्तावेज में तैयार की गई राजकोषीय योजना पुनः तैयार की जाएगी यदि 14वां वित्त आयोग राज्यों के हिस्से में परिवर्तन करता है।

### (ग) कर-भिन्न राजस्व

23. केन्द्र का कर - भिन्न राजस्व मुख्य रूप से सरकार की ब्याज और लाभांश प्राप्तियों, केंद्रीय मंत्रालय और विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्तियों, जैसे विभिन्न अभिकरणों को केंद्रीय पुलिस बल की पूर्ति, पासपोर्ट और वीजा जारी करना, कंपनियों के पंजीकरण, पेटेंट्स और लाईसेंस शुल्क, अप-तटीय तेल क्षेत्रों से रॉयल्टी, पेट्रोल से लाभ और दूरभाष क्षेत्र से विभिन्न प्राप्तियां, से मिलकर बना है। वित्त वर्ष 2013-14 में ₹1,99,233 करोड़ जुटाए गए जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए स.घ.उ. का 1.7 प्रतिशत रहा। आम बजट के दौरान, कर-भिन्न राजस्व में ₹2,12,505 करोड़ का अनुमान लगाया गया है जो कि 2013-14 की तुलना में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पिछले वर्ष में राजस्व का यह संघटक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाया है और यह अप्रत्यक्ष करों में से अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। जैसा कि उपर्युक्त खंड में चर्चा की गई है, वित्त वर्ष 2014-15 में इसके वृद्धि में योगदान करने वाले प्रमुख संघटकों में स्पैक्ट्रम प्रसारण, सार्वजनिक खाता में निधियों का अरोध, और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अदा किए लाभांश में बढ़ोतरी है।

24. सरकार की ब्याज प्राप्तियां मुख्य रूप से रेलवे, राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को दिये गए ऋणों से हैं। राज्यों से ब्याज प्राप्तियां समग्र रूप से कम हो रही हैं क्योंकि राज्यों से निवल ऋण 12 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार मध्यस्थता हटाने के पश्चात् उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। केन्द्र की लाभांश प्राप्तियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य बैंक तथा दूसरा विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उद्यम। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभांशों में जैसे उनके लाभ में वृद्धि के साथ वृद्धि होनी चाहिए जबकि ये सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकार के हिस्से के विनिवेश के कारण संतुलित होंगे। इसके विपरीत, चूंकि सरकार बेसल iii की सीआरएआर अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बैंकों में इक्विटी का निवेश करेगी, बैंकों से लाभांश लाभ में वृद्धि और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भारत सरकार के हिस्से में वृद्धि के संयुक्त प्रयास के कारण तुलनात्मक रूप से तेजी से बढ़ेंगे। इन अवधारणाओं से 2014-15 में केन्द्र के कर-भिन्न राजस्व सघउ के 1.7 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।

25. उपर्युक्त अवधारणाओं का अधितकर अनुकरण करके, 2015-16 और 2016-17 हेतु कर-भिन्न राजस्वों के लिए दृष्टिकोण बना लिया गया है। 2014-15 में बजटीय कतिपय एक-मुश्त प्राप्तियां 2015-16 और 2016-17 में उपलब्ध नहीं होंगी। सरकारी क्षेत्र के

उद्यमों से लाभांशों के सम्बंध में, सरकार की नीति उनकी पूंजी परियोजनाओं में उनकी सुरक्षित आयों का निवेश करने में उनको समर्थ बनाने के लिए होगी। तथापि, किसी ठोस पूंजी निवेश योजना के अभाव में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को उनकी नकदी आधिक्य सरकार और अन्य शेर्यर धारकों को लाभांश के रूप में अदा करना चाहिए। दूरभाष क्षेत्र से यह अवधारणा की गई है कि पूर्व में 20 वर्षों हेतु जारी लाईसेंसों का नवीकरण अनुमान अवधि के दौरान नवीकरण हेतु आयेगा। फरवरी, 2014 में आयोजित स्पैक्ट्रम नीलामियों की सफलता आबंटन की अवधि से सतत् आधार पर उच्चतर राजस्वों में बदल जाएगी। यह सरकार हेतु आय स्थायी प्रवाह होगी। अवधारणाओं पर आधारित, 2015-16 और 2016-17 के लिए कर-भिन्न राजस्व क्रमशः स.घ.उ. का 1.4 प्रतिशत और 1.2 प्रतिशत होने के अनुमान लगाये गये हैं।

### 2. पूंजी प्राप्तियां

#### (क) ऋणों और अग्रिमों की वसूली

26. राज्यों से ऋणों की निवल वसूली में 12वें वित्त आयोग को प्रदत्त अवधि के दौरान कमी आई है जिसके कारण केंद्रीय सरकार द्वारा क्रमिक मध्यस्थता को हटाना और ऋण समेकन तथा ऋण माफी योजना हैं। चूंकि राज्य सरकारों को अब ऋण नहीं दिये जाते हैं, यह प्राप्ति वर्षानुवर्ष कम होगी क्योंकि पुराने ऋण परिसमाप्त हो जाते हैं। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से ऋणों का पुनर्भुगतान भी सरकारी क्षेत्र के उद्यम जो या तो रुग्ण है अथवा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के जरिए पुनरुद्धारधीन है से चूकों के कारण प्रभावित होगा। रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के ब्याज माफी अथवा ऋणों को बट्टे खाते डालने से सम्भावित भावी प्राप्तियों में कमी आई है। ब.अ. 2013-14 में ₹10,654 करोड़ की ऋणों और अग्रिमों की वसूली का अनुमान लगाया गया था। तथापि 2013-14 में संशोधित करके ₹10,802 करोड़ की गई। 2013-14 में ₹12,502 करोड़ के ऋणों और अग्रिमों की वसूली संशोधित अनुमान का 116 प्रतिशत है जबकि पिछले वर्ष में ₹15,060 करोड़ के आंकड़े से 17 प्रतिशत कमतर रहा। ब.अ. 2014-15 में इसका ₹10,527 करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। 2015-16 और 2016-17 के लिए, प्राप्ति का यह घटक सीधे ₹ 10,000 करोड़ रहने का अनुमान लगाया है क्योंकि सरकार निवल उधार को बढ़ावा नहीं देगी (राज्यों को बाह्य ऋणों हेतु की गई बेक-टू-बेक व्यवस्था हेतु स्वीकृति को छोड़कर)।

#### (ख) अन्य ऋण-भिन्न पूंजी प्रप्तियां

27. इस शीर्ष के तहत प्राप्तियों का मुख्य स्रोत सरकार के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश है। पूर्व में, सरकार ने पृथक रूप से समेकित निधि (सीएफआई) के भीतर विनिवेश से आवकों का हिसाब रखने के लिए और इसे आयोजना परिव्यय के भीतर आस्तियों के सृजन की तरह निर्धारित करने के अंतर्गत उपाय के रूप में राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) का सृजन किया था। तथापि, वित्त वर्ष 2013-14 से सरकार ने इस इरादे से कि विनिवेश से प्राप्तियां केवल विशिष्ट प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए निर्धारित की जाएंगी, सरकारी खाते के अंतर्गत पृथक निधि,

एनआईएफ के सृजन का निर्णय लिया। इस बड़े उपाय से, प्राप्ति सरकार के सतत् खर्चों के निधिपोषण हेतु उपलब्ध नहीं होंगी। वित्त वर्ष 2013-14 के अंतिम लेखाओं के अनुसार विनिवेश प्रतिफलों से प्राप्तियां ₹21,992 करोड़ (संशोधित अनुमान का 137 प्रतिशत) बैठती है।

28. ब.अ. 2014-15 में, यह अनुमान लगाया गया है कि ₹36,925 करोड़ की धनराशि विनिवेश से एनआईएफ के तहत उपचित होगी। इसके अतिरिक्त, गैर सरकारी कम्पनियों में अवशिष्ट सरकारी शेयर के विनिवेश से ₹15,000 करोड़ संभावित हैं। अन्य ऋण-भिन्न पूंजी प्रतियों में राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा ऋणों का पुनर्भुगतान शामिल है। यह धनराशि वर्षों से कमोवेश बराबर बनी हुई है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा स्थिरता के विरुद्ध लोचनीय बनाने के लिए प्रारक्षित निधियों के सृजन के इसके प्रयास के भाग के रूप में भारत सरकार द्वारा रखे गए एसडीआर क्रय करने का प्रस्ताव किया है और यह प्रायोगिक आधार पर कुछ एसडीआर खरीदेगा। इस लेन-देन में प्राप्त राशि विविध पूंजी प्राप्तियों का भाग बनेगी। तदनुसार, कुल प्रतियां 2014-15 के अंतरिम ब.अ. में ₹56,925 करोड़ रुपए पर डटी हुई थीं। यह भी अनुमान है कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का विशिष्ट उपक्रम (एसयूटीआई) में जोखिमों की बिक्री से ₹6,500 करोड़ की राशि जुटाए जाएंगे। इस प्रकार, 2014-15 आम बजट के लिए विनिवेश के तहत अनुमानित राशि ₹63,425 करोड़ बैठती है। मध्यम अवधिक रूपरेखा में, वर्ष 2015-16 और 2016-17 हेतु ₹55,000 करोड़ की राशि ली गई है।

#### (ग) उधार-लोक ऋण और अन्य देनदारियां

29. केन्द्र सरकार के समग्र ऋण में से लगभग 92 प्रतिशत घरेलू ऋण और केवल 8 प्रतिशत विदेशी ऋण है। 2013-14 में ₹4,68,902 करोड़ के निवल बाजार उधार से सकल राजकोषीय घाटा के 92 प्रतिशत का वित्त पोषण किया गया। वित्तपोषण के अन्य स्रोत जैसाकि विदेशी सहायता, राज्य भविष्य निधियां और राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का संयुक्त हिस्सा सकल राजकोषीय घाटा का बाकी 8 प्रतिशत है। विदेशी उधार से जुटाई गई राशि की गई बजट व्यवस्था से काफी कम थी। अधिक संवितरण के कारण अन्य ऋणों से नकारात्मक बहिर्वाह हुआ। तथापि, राज्य भविष्य निधियों से अपेक्षाकृत अधिक राशि जुटाई गई। गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी राजकोषीय हुंडियों में राज्य सरकारों से अधिक निर्देश के कारण राजकोषीय हुंडियों में वसूलियां भी बढ़ी। यह मुख्यतः सरकारों की सहज नकदी स्थिति और मध्यवर्ती राजकोषीय हुंडियों की तुलना में नीलामी राजकोषीय हुंडियों में उच्च ब्याज दरों के कारण हुआ। बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए बाजार उधार में ₹15,000 करोड़ से वित्त वर्ष 2013-14 के लिए ₹4,68,902 करोड़ की कमी आयी, इसमें मुद्रास्फीति सूचकांक बांड से ₹6,500 करोड़ भी शामिल है। वर्ष के लिए उधार कार्यक्रम पूर्व घोषित उधार कैलेंडर की तर्ज पर सुचारु रूप से पूरा हुआ। 2013-14 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों की भारत औसत परिपक्वता पिछले वर्ष के 13.50 वर्ष से बढ़कर 14.23 वर्ष हो गई, जो अपने बकाया ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल

को लम्बी अवधि तक बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए सतत प्रयासों को दर्शाती है। वर्ष के दौरान निर्गम का भारत औसत प्रतिफल पिछले वर्ष के 8.36 प्रतिशत से मामूली बढ़कर 8.48 प्रतिशत हो गया। प्रतिफल में वृद्धि परिपक्वता अवधि बढ़ने तथा प्रतिफल कठोर होने के कारण थी।

30. राजकोषीय सुदृढीकरण के उपायों को आगे बढ़ाने की सरकार की वचनबद्धता के अनुसरण में 2014-15 के लिए राजकोषीय घाटा स.घ.उ. के 4.1 प्रतिशत गिरने की बजट व्यवस्था की गई थी। 2014-15 के लिए कुल उधार लेने की आवश्यकता ₹6,00,000 करोड़ या स.घ.उ. के 4.7 प्रतिशत बजट व्यवस्था की गई थी। ₹4,61,205 करोड़ रुपए का निवल बाजार उधार की बजट व्यवस्था लगभग 86.8 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करने के लिए की गई थी। संकेतात्मक अर्थ में निवल उधार अनुमान पिछले वर्ष की तुलना में 1.7 प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं। स.घ.उ. के अर्थ में निवल बाजार उधार वित्त वर्ष 2013-14 में 4.1 प्रतिशत की तुलना में 3.6 प्रतिशत गिरने की बजट व्यवस्था की गई थी। विदेशी ऋण के जरिए उधार 2014-15 के दौरान अपेक्षाकृत अधिक बने रहने की बजटीय व्यवस्था की गई थी।

31. वाणिज्यिक बैंक बड़ी निवेशक श्रेणी है जिनके पास वर्तमान में बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों के लगभग 46 प्रतिशत का स्वामित्व है। 2013-14 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों में वर्षानुवर्ष 14.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई (05 जून 2014 की स्थिति के अनुसार) जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में देखी गई 13.1 प्रतिशत वृद्धि से अधिक है। बीमा कंपनियों सरकारी प्रतिभूतियों में दूसरी बड़ी निवेशक श्रेणी है जो पारंपरिक रूप से दीर्घावधि वाली प्रतिभूतियों का दावा करती है। मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में बीमा कंपनियों की धारिता पिछले वित्त वर्ष की समाप्ति पर 18.6 प्रतिशत से बढ़कर 19.5 प्रतिशत हो गई है। भविष्य निधियां सरकारी प्रतिभूतियों का दावा करने वाली अन्य स्थायी स्रोत है जिसका हिस्सा लगभग 7.2 प्रतिशत पर स्थिर है। अतः सरकार की निवल बाजार उधारों में बजटीय वृद्धि की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों में महत्वपूर्ण उच्च वृद्धि का निहितार्थ है कि निजी क्षेत्र के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता कोई दबाव डाले बगैर सरकार का 2014-15 का उधार कार्यक्रम आराम से पूरा कर लिया जाएगा। इससे भी बढ़कर, बीमा कंपनियों के बढ़े हुए हिस्से और सरकारी प्रतिभूतियों के स्वामित्व में भविष्य निधियों के हिस्से में स्थायित्व लागत बढ़ाए बगैर सरकारी ऋण की परिपक्वता रूपरेखा और बढ़ाने की गुंजाइश प्रदान करेगा। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सरकार की कुल देनदारियों में विगत हाल में देखे गए रुझान के जारी रहने के चलते इनमें भी गिरावट आएगी। 2013-14 के अंत में सरकार की कुल देनदारी सकल घरेलू उत्पाद की 46.0 प्रतिशत होना अनुमानित है जो 2014-15 के अंत तक घटकर 45.4 प्रतिशत हो जाएगी। गिरावट वाली प्रवृत्ति जारी रहते यह संभावना है कि यह घटकर 2015-16 में 43.6 प्रतिशत और 2016-17 में 41.5 प्रतिशत रह जाएगी। सरकार के ऋण-स.घ.उ. अनुपात में प्रगामी गिरावट ब्याज भार को कम

करेगी और सरकार को अतिरिक्त उधारों का सहारा लिए बगैर विशेषता अवसंरचना विकास पर व्यय करने के लिए अधिक गुंजाइश उपलब्ध कराएगी।

32. सकल राजकोषीय घाटा प्रगामी रूप से घटकर 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.1 प्रतिशत रहना अनुमानित है। मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में सकल राजकोषीय घाटा और गिरकर 2015-16 तक 3.6 प्रतिशत और 2016-17 तक 3.0 प्रतिशत रह जाएगा। बाजार उधारों से वित्तपोषण सकल राजकोषीय घाटे का लगभग 90 प्रतिशत मानते हुए निवल बाजार उधारों के भी अगले तीन वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से कम होकर 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.6 प्रतिशत, 2015-16 में 3.1 प्रतिशत और 2016-17 में 2.6 प्रतिशत होने की संभावना है। सरकारी घाटे के संकुचन के चलते निजी निवेश और पूंजी अंतर्वाहों के लिए अतिरिक्त गुंजाइश बनी रहेगी। यह स्फीतिकारी दबावों को भी कम करके मौद्रिक नीति को सुखद बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आराम की स्थिति में रखेगा।

### 3. कुल व्यय

#### (i) राजस्व लेखा

##### (i) आयोजना राजस्व व्यय

33. सरकार का आयोजना राजस्व व्यय 11वीं योजना अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 4.2 प्रतिशत के औसत स्तर पर बना रहा। तथापि, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के प्रभाव को रोकने के लिए किए गए प्रोत्साहन उपायों के कारण 12वीं योजना अवधि के दौरान समग्र आयोजना व्यय बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 4.6 प्रतिशत हो गया। सतत आर्थिक विकास और राजकोषीय समेकन के दोहरे लक्ष्य पूर करने के लिए यह अति आवश्यक है कि आयोजना व्यय इष्टतम स्तरों पर रखा जाए। सरकार 2008-09 के दौरान इस लिए राजकोषीय विस्तार कर सकी क्योंकि यह निम्न राजकोषीय घाटे के आधार पर चल रही थी और अपने घाटे में वृद्धि को वहन कर सकती थी। इस तरह की नीति का दोबारा अनुकरण न किया जाए और राजकोषीय घाटा स्वीकार्य स्तर तक लाया जाए। इसलिए प्रयास होना चाहिए कि सरकार का अनुत्पादक व्यय घटाया जाए और कम से कम तब तक आयोजना व्यय को वहनीय स्तरों के भीतर बनाए रखा जाए जब तक कि राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया पूरी न हो जाए।

34. वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजना व्यय युक्तियुक्त कर सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत किया गया था और 2013-14 के संशोधित अनुमान में आयोजना व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 4.2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। तथापि, राजकोषीय समेकन के सरकारी प्रयासों के परिणामों से कुल आयोजना व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 4.0 प्रतिशत पर नियंत्रित रखा गया जो 2013-14 के संशोधित अनुमान से ₹ 22,447 करोड़ कम था और इस कमी का अधिकतर (₹ 19,308 करोड़) राजस्व लेखे में प्राप्त किया गया था। 2014-15 का आयोजना व्यय अंतरिम स्तर का 3.5 प्रतिशत अधिक होकर ₹ 5,75,000 करोड़ है और पिछले

वित्त वर्ष के निष्पादन की तुलना में 26.9 प्रतिशत वृद्धि प्रतिबिंबित करता है। संशोधित एफआरबीएम नियमावली में अपनाई गई राजकोषीय समेकन कार्ययोजना के अनुसार राजकोषीय लक्ष्यों और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाने के दौरान आयोजना व्यय आकलित किया गया है। तदनुसार, अनुमान है कि आयोजना व्यय के लिए संसाधन वित्त वर्ष 2015-16 और वित्त वर्ष 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 4.1 प्रतिशत और 3.7 प्रतिशत होंगे।

#### (ii) आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

35. सरकार के आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय में मुख्यतया इसके स्थापना व्यय, ब्याज अदायगियां, रक्षा व्यय, सब्सिडियां, राज्यों को सांविधिक अनुदान और अन्य अवशिष्ट मदें सन्निहित हैं। आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय मुख्यतया छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद के 8.4 प्रतिशत से उछल कर 2009-10 में सकल घरेलू उत्पाद का 10.2 प्रतिशत हो गया। तब से सरकार द्वारा किए गए विभिन्न व्यय सुधार उपायों के कारण 2014-15 के बजट अनुमान में यह कम होकर 8.7 प्रतिशत रह गए हैं। संभावना है कि वित्त वर्ष 2015-16 में यह और कम होकर 8.2 प्रतिशत हो जाएगा तथा वित्त वर्ष 2016-17 में घटकर 8.1 प्रतिशत हो जाएगा। आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय वित्त वर्ष 2013-14 में ₹ 10.23 लाख करोड़ और 2014-15 के बजट अनुमान में ₹ 11.14 लाख करोड़ होना अनुमानित है। आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय के विभिन्न संघटकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

#### (क) ब्याज अदायगियां

36. सरकार द्वारा शुरू किए गए राजकोषीय विस्तार के कारण वैश्विक आर्थिक संकट के बाद ब्याज अदायगियां तेजी से बढ़ी हैं। केन्द्र के निवल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में ब्याज अदायगियां 2007-08 में 38.9 प्रतिशत से उछल कर 2008-09 में 43.4 प्रतिशत और फिर 2009-10 में 46.7 प्रतिशत हो गईं। 2013-14 के बजट अनुमान में इस घटक के अंतर्गत व्यय केंद्र को निवल कर का 41.9 प्रतिशत अनुमानित था जो संशोधित अनुमान में संशोधित कर 45.5 प्रतिशत कर दिया गया था परन्तु जैसा अनंतिम लेखों से ज्ञात हुआ है वर्ष के अंत में ₹ 3,77,502 करोड़ रुपए पर ब्याज अदायगी केन्द्र को निवल दर के 46.3 प्रतिशत पर डटी हुई थी। हाल की अवधि के दौरान जिन कारकों ने ब्याज अदायगी प्रभावित की है वे 2011-12 के दौरान वित्तीय विसर्पण के साथ प्रोत्साहन उपायों के कारण वृद्धित ऋण स्टाक और तुलनात्मक रूप से आजकल विद्यमान कठोर ब्याज दर व्यवस्था हैं।

37. वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में राजकोषीय समेकन के अनुकरण में गिरावट दर्शाते ब्याज अदायगी केन्द्र को निवल कर का 43.7 प्रतिशत अनुमानित है। सरकारी घाटे के कम होने और मुद्रा-स्फीति नियंत्रित करने के सरकार के प्रयासों के चलते यह संभावना है कि आगामी वर्षों में ब्याज दरें गिरेंगी। घाटे में कमी और ब्याज दरों में गिरावट निजी क्षेत्र को निम्न लागत पर संसाधन जुटाने की सकारात्मक गुंजाइश सृजित करेगी। राजकोषीय सुधारों की नीति का आधार मजबूत होने के चलते मध्यावधि में यह

संभावना है कि यह अनुपात गिरकर वित्त वर्ष 2015-16 में 41.2 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2016-17 में 39.0 प्रतिशत रह जाएगा।

### (ख) रक्षा सेवाएं

38. राजस्व लेखे पर रक्षा व्यय मुख्यतया रक्षा बलों के वेतन व्यय और उनके प्रचालनात्मक व्यय से बनता है। रक्षा राजस्व व्यय 2013-14 के संशोधित अनुमान में ₹ 1.24 लाख करोड़ अनुमानित था और वर्ष के अंत में यह उसी स्तर पर बना रहा। 2014-15 के बजट अनुमान में ₹1.34 लाख करोड़ अनुमानित है। 2015-16 में रक्षा राजस्व व्यय 7.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। तथापि, सातवें वेतन आयोग के प्रभाव को समायोजित करने के लिए वित्त वर्ष 2016-17 में अतिरिक्त प्रावधान माना गया है। स.घ.उ. के अनुपात के रूप में कुल रक्षा व्यय 2015-16 और 2016-17 के वित्त वर्षों में 1.7 प्रतिशत पर रहना अनुमानित है।

### (ग) पेंशन

39. केन्द्र सरकार की पेंशन अदायगियों संबंधी व्यय में रक्षा के साथ-साथ सिविल पेंशन शामिल है। सांकेतिक अर्थ में पेंशन अदायगी 2013-14 के संशोधित अनुमान में ₹ 74,076 करोड़ है और वर्ष के अंत में संशोधित अनुमान के आंकड़े से मामूली अधिक होकर ₹ 74,606 करोड़ बैठी थी। सांकेतिक अर्थों में पेंशन अदायगी 2014-15 के बजट अनुमान में ₹ 81,983 करोड़ अनुमानित है। पिछले कुछ वर्षों में केन्द्र सरकार का पेंशन भुगतान वेतन व्यय की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण अधिक सेवानिवृत्तियों और वृद्धित जीवन प्रत्याशा के कारण पेंशनरों की संख्या में वृद्धि होना है। तदनुसार, विगत प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार का पेंशन व्यय 2015-16 में 10.4 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। सातवें वेतन आयोग के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2016-17 में और अधिक वृद्धि मानी गई है।

### (घ) राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान

40. राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान मुख्यतया वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों से बनते हैं। वर्ष 2013-14 के संशोधित अनुमान में आयोजना-भिन्न अनुदान ₹60,763 करोड़ और 2014-15 के बजट अनुमान में ₹69,084 करोड़ अनुमानित हैं। अंतिम लेखाओं के अनुसार 2013-14 में राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान ₹ 64,565 करोड़ था। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सीएसटी क्षतिपूर्ति 2015-16 में भी जारी रहेगी, 2015-16 का अनुमान लगाया गया है। 2015-16 में आयोजना-भिन्न अनुदान 2014-15 की तुलना में थोड़ी सी बढ़ाई गई है क्योंकि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें प्रभावी हो जाएगी। सामान्यतः वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदानों प्रदान की गई अवधि के दूसरे वर्ष से प्रवाह करने हेतु संस्तुत हैं ताकि राज्य सरकारों के लिए आसान तैयारी अवधि सुनिश्चित की जा सके। इन धारणाओं पर आयोजना भिन्न अनुदानों 2015-16 तथा 2016-17 में स.घ.उ. के 0.5 प्रतिशत पर अनुमानित की गई हैं।

### (ङ) मुख्य सस्त्रियां

41. वर्ष 2013-14 के लिए संशोधित अनुमानों में मुख्य सस्त्रियां ₹ 2,20,972 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में बढ़ाकर ₹ 2,45,452 करोड़ कर दी गयी हैं। वृद्धि का मुख्य अंश पेट्रोलियम सस्त्रियों से आया है जो बजट अनुमान 2013-14 में ₹ 65,000 करोड़ से संशोधित अनुमान 2013-14 में ₹ 85,480 करोड़ हो गया है। 2013-14 के अंतिम लेखों में मुख्य सस्त्रियों पर व्यय ₹2,47,596 करोड़ की राशि का था। यह खाद्य, पेट्रोलियम और उर्वरक पर क्रमशः ₹ 92,318 करोड़, ₹ 83,998 करोड़ और ₹71,280 करोड़ से बना है। बजट अनुमान 2014-15 में मुख्य सस्त्रियों के लिए ₹ 2,51,397 करोड़ की बजटीय व्यवस्था की गई है। 2013-14 में कुल सस्त्रियाँ स.घ.उ. का 2.3 प्रतिशत थी तथा 2014-15 में स.घ.उ. के 2.0 प्रतिशत की बजटीय व्यवस्था की गई है। अनुमान अवधि में प्रमुख सस्त्रियों के घटकर सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 1.7 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। राजकोषीय समेकन के राजकोषीय लक्ष्य हासिल करने के लिए यह अनिवार्य है कि सरकार लाभार्थियों सुधरे हुए लक्ष्य के जरिए सस्त्रियों पर व्यय प्रगामी रूप से कम किए जाने की नीति का अनुकरण करेगी।

42. मुख्य सस्त्रियाँ राजकोषीय समेकन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं तथा अपने राजकोषीय लक्ष्यों को पूरा करने में सरकार की सफलता को निर्धारित करने में सबसे मुख्य कारक हैं। सरकार का प्रयास इस मुद्दे को दो तरफा कार्यनीति से निपटाने का होगा। पहले, सरकार को सस्त्रियों प्राप्त वस्तुओं के लिए मूल्य निर्धारण नीति का सुयोजन करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुल सस्त्रियाँ वहनीय स्तरों के अंतर्गत बनी रहे। दूसरे सरकार द्वारा प्रदान की गई सस्त्रियों को बेहतर रूप से लक्ष्यगत करना बहुत अनिवार्य है। सस्त्रियों द्वारा लक्षित लाभों के सीधे अन्तर्ण के लिए सरकार ने एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार किया गया है। जो अभी कार्यान्वयन के आरंभिक चरणों में है। विविध सस्त्रियों कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों की पहचान और उन्हें लक्षित किए जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जा रहा है।

43. कीमतों के स्तर, खासकर पेट्रोलियम क्षेत्र में देखें तो डीजल ही अकेली वह वस्तु है जो सरकार के राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया पर सबसे बड़ा जोखिम बना हुआ है। डीजल के मूल्य-निर्धारण में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब सरकार इसके मूल्य सुधार की पिछली समस्या से ही जूझ रही होती है जब तक अगली मूल्य वृद्धि की जरूरत भी आन पड़ी होती है। इसके कारण प्रशासित मूल्यों में उच्चतर सस्त्रियों का एक दुर्दम्य और अंतहीन चक्र शुरू हो जाता है। इस मसले को सुलझाने के लिए सरकार ने उत्तरोत्तर विनियमित डीजल कीमतों के निर्णय की घोषणा की है। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि मूल्यों में होने वाली वृद्धि ग्राहक को बहुत खलेगी नहीं, क्योंकि यह थोड़ी ही होगी इसके साथ ही यह अन्ततः विनियंत्रण की दिशा में सरकार के लिए भी मददगार होगी। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि मुद्रास्फीति पर डीजल के मूल्य वृद्धि का प्रभाव न्यूनतम रहेगा। अगर तेल क्षेत्र में कोई अगला अन्तर्राष्ट्रीय झटका नहीं लगता तो आशा की जाती है

कि सरकार एक या दो वर्षों में डीजल को पूरी तरह से विनियंत्रित कर सकेगी। ईंधन सब्सिडी के बढ़ने के चलते सब्सिडीयुक्त सिलेंडरों की अधिकतम संख्या और वस्तुपरक स्तर पर रखने की जरूरत हो सकती है।

44. उर्वरकों में, पोषक आधारित सब्सिडी नई पोषक आधारित यूरिया नीति में व्यवस्था फास्फोरस और पोटैश (पीएंडके) क्षेत्र में ही लागू है। तात्कालिक तौर पर बेहद जरूरी है कि यूरिया में हो रही मूल्य वृद्धियों के मद्देनजर यूरिया क्षेत्र में भी कुछेक मूल्य निर्धारण सुधार किए जाएं। ऐसा सिर्फ सब्सिडी राशि की भारी भरकम मात्रा को देखते हुए ही जरूरी नहीं है बल्कि नाइट्रेट, फास्फोरस और पोटैश पोषकों के सन्तुलित उपयोग की दृष्टि से भी आवश्यक है। सरकार ने 2 जनवरी, 2012 को नई निवेश नीति-2012 अधिसूचित की थी ताकि स्वदेशी क्षमता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करके यूरिया क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सके। इस नीति से आईपीपी से कम कीमतों पर स्थानापन्न के आयात के कारण सब्सिडी में भी बचत का मार्ग प्रशस्त होगा। एक दीर्घ अवधि में सरकार उपवर्कों के देशी उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम करेगी जो आयातों पर देश के किसानों की निर्भरता को घटाने में सहायक होकर और इसके मूल्यों को अधिक स्थिर बनाएगी।

45. आने वाले वर्षों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत के साथ ही खाद्य सब्सिडी व्यवस्था को नए सिरे से समीक्षा करनी होगी। उक्त अधिनियम के लागू होने के साथ ही सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण, सुपर्दगी श्रृंखलाओं के बेहतर तालमेल, भारतीय खाद्य निगम और उस जैसे अन्य सम्बंधित संस्थानों की प्रशासनिक लागत में कमी और अन्य सम्बद्ध सुधारों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। अब तक 11 राज्यों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है और धीरे-धीरे अन्य राज्य भी उनका अनुकरण करेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत तो तिहाई जनसंख्या मोटे अनाज/गेहूँ/चावल ₹1-2-3 प्रति किलोग्राम की दर पर प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम प्राप्त करने की हकदार है। अन्त्योदय अन्न योजना वाले परिवार 35 किलोग्राम प्रतिमाह प्राप्त करते रहेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू होने के चलते खाद्य सब्सिडी के यौक्तिकीकरण की जरूरत है। भारतीय खाद्य निगम की पुनर्संरचना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग और लाभार्थियों को बेहतर ढंग से लक्षित करना खाद्य सब्सिडी को सुप्रवाही बनाने के लिए सुधारों के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

46. जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, सब्सिडी सुधारों पर ध्यान दिए बिना राजकोषीय समेकन का कोई भी प्रयास निष्फल ही साबित होगा। प्रमुख सब्सिडी पर सरकार का खर्च 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 2.2 प्रतिशत था जोकि घटकर 2014-15 में 2.0 प्रतिशत रह गया है। आशा है कि सक्रिय नीतिगत सुधारों से यह प्रतिशत उत्तरोत्तर रूप से घटेगा। अनुमानित अवधि में इसे 2015-16 तथा 2016-17 में क्रमशः 1.7 तथा 1.6 प्रतिशत तक नियंत्रित किए जाने का प्रस्ताव है।

## (II) पूंजी परिव्यय

47. वर्ष 2013-14 के अन्तरिम लेखों के अनुसार संशोधित अनुमान में ₹1,90,894 करोड़ की तुलना में सरकार का कुल पूंजी

परिव्यय ₹1,87,895 करोड़ रहा। 2014-15 के बजट अनुमानों में इसके बढ़कर ₹ 2,26,781 करोड़ तक पहुंचने की आशा है। इसमें से वित्त वर्ष 2013-14 का योजना व्यय ₹ 1,00,542 करोड़ था जोकि बजट अनुमान 2014-15 में बढ़कर ₹ 1,21,497 करोड़ हो गया है। इसी प्रकार वित्त वर्ष 2013-14 का योजना भिन्न पूंजी व्यय ₹ 87,353 करोड़ था जो कि 2014-15 के बजट में बढ़कर ₹ 1,05,283 करोड़ हो गया है।

48. योजना भिन्न व्यय को देखें तो व्यय का प्रमुख भाग रक्षा पूंजी व्यय ही है। जैसा कि अंतरिम खातों से देखा जा सकता है। संशो. अनुमान 2013-14 में ₹ 78,872 करोड़ की तुलना में रक्षा पूंजी व्यय ₹ 79,222 करोड़ रहा था और 2014-15 के बजट अनुमान में इसके बढ़कर ₹ 94,588 करोड़ तक जा पहुंचने की आशा है जो पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 19.4 प्रतिशत अधिक है। वृद्धित आधार पर इसमें वित्त वर्ष 2015-16 में 5.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि मानी गई है। तथापि, वित्त वर्ष 2016-17 में 10.0 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। जो केन्द्र सरकार के संसाधनों पर समग्र संसाधन उपलब्धता तथा अन्य मांगों के समनुरूप है।

49. भारत के योजना व्यय में मुख्य रूप से सकल रेल व्यय को सकल बजटीय समर्थन सरकारी कम्पनियों तथा बैंकों में राष्ट्रीय राजमार्ग निदेशों तथा राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिए जाने वाले ऋण आदि शामिल होते हैं। चूंकि सरकार के राजस्व घाटे में सुधार लाने के लिए सभी तरफ से समग्र प्रयास किए जाने जरूरी है तथापि यह भी अनिवार्य है कि समग्र योजना व्यय में पूंजी घटकों में राजस्व घटकों की तुलना में तीव्र विकास हो। 2014-15 में कुल योजना व्यय के 21.1 प्रतिशत के रूप में योजना पूंजी व्यय का बजट अनुमान लिया गया था और 2015-16 में इसके बढ़कर कुल योजना व्यय के 23.8 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2016-17 में और बढ़कर 25.2 प्रतिशत होने का अनुमान है।

## ग. निम्नलिखित को कायम रखने की क्षमता का आकलन:

### (i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन

50. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के वर्षों में प्रेरक पैकेज और राजकोषीय अपव्यय से लोक वित्त के राजस्व खाते में पहले हासिल किए गए अग्रिमों का नुकसान हो गया। राजस्व घाटा, जिसे 2007-08 में कम करके 1.1 प्रतिशत कर दिया गया था, 2009-10 में 5.2 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। तदनुसार सरकारी वित्त में असंतुलन के इस घटक के लिए राजकोषीय नीति को पुनः अंशशोधित करने हेतु 2012 में एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन किया गया था। चूंकि संघीय राजतंत्र में सभी निधियों के अंतरण को राजस्व के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है, यहां तक कि जब अन्तः प्रयोग से भी पूंजी निर्माण हो सकता है, यह महसूस किया गया कि राजस्व घाटे को समाप्त करने से विकासात्मक व्यय करने के केन्द्रीय सरकार के प्रयासों का अतिक्रमण होगा। ऐसा तरीका अपनाने से अन्तर पीढ़ी इक्विटी सिद्धांत, जिसके लिए ऋण द्वारा वित्त पोषण के लिए पूंजी निर्माण के भाग की आवश्यकता होती है, लुप्त हो जाता है। अतः जिस राजस्व घाटे के अंश का उपयोग पूंजी निर्माण के लिए किया जाता है, उस अंश का

हिसाब देने के लिए प्रभावी राजस्व घाटा की नई अवधारणा शुरू की गई। प्रभावी राजस्व घाटा समाप्त करने के लिए और 31 मार्च 2015 तक राजस्व घाटे को दो प्रतिशत पर सीमित करने हेतु इस तरीके में अंशशोधन किया गया।

51. जब से नया एफआरबीएम लोकप्रिय हुआ तब से सरकार द्वारा राजकोषीय सुदृढीकरण की योजना अपनायी गई है। जैसाकि पहले के खण्ड में चर्चा की गई है, सरकार राजकोषीय अर्जन के मार्ग के अनुपालन में अटल रही है और बाद के वर्षों में लक्ष्य से बेहतर निष्पादन किया है। तथापि राजस्व पक्ष में प्रतिकूल आर्थिक परिदृश्य से सरकार के निष्पादन में अड़चने आईं। 2010-11 से आर्थिक विकास गिरता आ रहा है और विगत दो वर्षों के लिए 5 प्रतिशत से नीचे रहा है, विगत वर्ष इसमें मामूली सुधार हुआ है। कर में उछाल एक से भी कम रहने से कर राजस्व दबाव में रहा। इसके अतिरिक्त इसके प्रतिकूल प्रभाव से असुरक्षित वर्गों का संरक्षण करने के लिए कल्याणकारी उपायों पर सरकारी व्यय बढ़ाना मुद्रास्फीतिकारी दबाव और बाह्य कारकों ने आवश्यक बना दिया। इसके परिणामस्वरूप नए एफआरबीएम के दायरे में राजकोषीय सीमा में दृढता से बने रहने के बावजूद लोक वित्त अन्य के अलावा राजस्व पक्ष में लक्ष्यों को हासिल करने में असमर्थ रहा। राजस्व घाटे में प्रगामी गिरावट आयी और 2011-12 में 4.4 प्रतिशत के उच्च स्तर से गिरकर यह 2013-14 में 3.2 प्रतिशत पर आ गया और 2014-15 में इसके 2.9 प्रतिशत पर आने का अनुमान है, यह 31 मार्च, 2015 के लिए निर्धारित 2 प्रतिशत के लक्ष्य से अभी भी कुछ कम है। इसके अतिरिक्त विद्यमान स्थितियों के अंतर्गत राजकोषीय रूपरेखा का पूर्वानुमान 2.2 प्रतिशत का राजस्व घाटा दर्शाता है जो नई एफआरबीएम व्यवस्था द्वारा निर्धारित दो प्रतिशत की सीमा से अधिक है। यह ध्यान देने की बात है कि वित्त वर्ष 2016-17 में राजस्व घाटे के अनुमान 1.6 प्रतिशत बैठते हैं जो अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा में एक सुधार है। तथापि, यह संभावना है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान यदि वृहद्-आर्थिक स्थितियों में सुधार होता है तो राजस्व खाते में निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।

52. इसी प्रकार प्रभावी राजस्व घाटा जो 2011-12 में 2.9 प्रतिशत था, 2012-13 में 2.5 प्रतिशत पर आ गया और 2013-14 में 2.0 प्रतिशत रह गया है। 2014-15 में इसके 1.6 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष के अन्त तक इसे समाप्त किया जाना था। प्रभावी राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए, राजस्व घाटा पूंजी सृजन के लिए सहायता-अनुदान के बराबर होना चाहिए, जो यह इंगित करता है कि सरकार का प्राप्तियों से ज्यादा खर्च होने वाला व्यय पूंजीगत व्यय के सृजन के लिए लगाया जाना चाहिए इस शर्त के साथ कि राजस्व घाटा 2 प्रतिशत सीमा तथा दी गई योजना के आकार के अंतर्गत होना चाहिए और यह इंगित करता है कि योजना राजस्व व्यय का लगभग दो-तिहाई पूंजी सृजन के लिए अवश्य प्रयोग किया जाना चाहिए। यह आवश्यकता योजना स्कीमों में संरचनात्मक परिवर्तनों की मांग करती है। केन्द्र सरकार की धन-राशि का प्रयोग पूंजी सृजन के उपयोग के लिए किया जाना चाहिए जबकि राज्य सरकार को कार्यक्रम चलाने की प्रचलनात्मक लागत को पूरा करना

चाहिए। सरकार ने राजकोषीय सुधारों के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुनःपुष्टि की है तथा योजना स्कीमों की पुनःसंरचना करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। तथापि, निरंतर रूप से चल रही योजनाओं की समीक्षा और पुनर्संरचना के कार्य को समाप्त किया जाना होगा। ऐसे परिवर्तनों पर प्रभाव डालने से पहले प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा किया जाना होगा। अतः व्यय को शामिल किए जाने के संदर्भ में किसी भी प्रकार का मूलभूत परिवर्तन किसी निश्चित समयावधि में कार्यान्वित किया जा सकता है। राजकोषीय समेकन की आगे प्रगति के साथ, इसे अगले वर्ष समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। अनुकूल वृहत आर्थिक घटाक्रम नई एफआरबीएम व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य अर्थात् चालू वित्त वर्ष के अंत तक इस अंतराल को कम करने के लिए गुंजाइश प्रदान कर सकते हैं।

## (ii) उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिए बाजार उधारों सहित पूंजी प्राप्तियों का उपयोग

53. वर्ष 2013-14 के दौरान कुल राजस्व प्राप्ति का 109.4 प्रतिशत आयोजना-भिन्न व्यय के परिणाम स्वरूप उपभोग व्यय के लिए पूंजी संसाधनों का उपयोग किया गया। यह व्यय, संरचना में संरचनात्मक समस्या का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाता है, जिसके लिए सुधारात्मक कार्य की जरूरत है ताकि सरकार को विकासात्मक कार्यों के लिए प्रयास करने में समर्थ बनाया जा सके। राजकोषीय नीति में सक्रिय सुधार से संभावना बनती है कि इस मुद्दे का समाधान किया जाएगा। आम बजट 2014-15 में यह अनुमानित है कि कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति आयोजना-भिन्न व्यय का अनुपात घटकर 102.5 प्रतिशत हो जाएगा और इसे कम करके आगामी वित्त वर्षों में 98.1 प्रतिशत और 96.5 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

54. सरकारी व्यय की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक दूसरा मापदण्ड राजकोषीय घाटे के प्रति आयोजना व्यय का अनुपात है, जो उधार में प्राप्त संसाधनों को नियोजित करने की ओर इंगित करता है। ब.अ. 2014-15 में ₹ 5,75,000 करोड़ का कुल आयोजना व्यय अनुमानित राजकोषीय घाटा का लगभग 108.3 प्रतिशत है। राजकोषीय सुदृढीकरण के भाग के रूप में उधार के और कम हो जाने से यह आशा की जाती है कि आगामी दो वित्त वर्षों में इस अनुपात में और अधिक सुधार होगा और यह क्रमशः 115.5 प्रतिशत और 123.8 प्रतिशत रह जाएगा, जो सरकारी संसाधनों को विकास के लिए लगाने में उल्लेखनीय सुधार की ओर इंगित करता है। राजकोषीय सुधार का एक भाग स.घ.उ. के अनुपात में ऋण को कम करना और धीरे-धीरे ब्याज अदायगी को केन्द्र के निवल कर राजस्व के अनुपात में स्थायी स्तर पर लाना है ताकि बहुमूल्य सरकारी संसाधनों को विकासात्मक प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराया जाए। केन्द्र के निवल कर राजस्व के प्रति ब्याज अदायगी वित्त वर्ष 2013-14 में प्रगामी रूप से कम होकर 46.3 प्रतिशत रह गई है। लोक वित्त में और अधिक सुधार होने से यह अनुमान है कि यह वर्तमान वर्ष में 43.7 प्रतिशत रहेगी और आगामी दो वर्षों में इसके क्रमशः 41.2 प्रतिशत और 39.0 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।